

2025/224

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
कुलदीप बनाम कृष्णलाल आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 166 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
07.04.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.04.2025 को पेश हो। on	
16.4.2025	<p>कृष्णलाल कलक्टर उपस्थित HPU माइक अग्र अर्थ पत्रावली 17.6.2025 दिनांक 17.6.2025</p>	
06.5.2024	<p>वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मिराल पेसी पेश करते पर पत्रावली को पेसी में लिखा गया। कृष्णलाल कलक्टर उपस्थित वरिष्ठ व प्रिन्सिपल सि. व 2 ने हाजिर अदा लहे आक्षेप दाखीनामा पेश किया जिसे काउ लकीड शामिल फाइल किया गया। पत्रावली वास्तव में जाकाक आईन्दा वादीक 12-6-2025 को पेश हो। on</p>	<p>कुलदीप Sushila ममता पद्मलता प्रियांका Jesmy g. byme वकीलवादी</p>
12.6.2025	<p>कृष्णलाल कलक्टर उपस्थित करते पर पत्रावली उभरी व हल सुनी गयी। पत्रावली का अर्थ लहे लिखा गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रिन्सिपल के दाखीनामा के आधार पर वाद की डिप्टी डिफा लाए है। उर्वरी विकरण सतिव निर्णय लेने लिखाया जाकर शामिल फाइल किया गया। पत्रावली नम्बर के अर्थ ही पत्रावली काउ लकीड तकील जाहा हाजिर हुए। on</p>	<p>वकीलवादी</p>

